[2019] 12 एस. सी. आर. 669

ए.

आंध्र केसरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ए. एन. आर. वी.

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2011 की सिविल अपील सं. 106)

बी.

सितंबर 25,2019

[इंदु मल्होत्रा और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 30 (1)-अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार-बी. एड. में प्रवेश के संबंध में विवादित सरकारी आदेश। अल्पसंख्यक संस्थानों में पाठ्यक्रम को Art.30 (1) के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई-आयोजितःजी. ओ. No.57 ने स्थिति प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी अल्पसंख्यक छात्रों की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक समान मानदंड निर्धारित किया-इसके बजाय यह वास्तविक अल्पसंख्यक छात्रों के हितों की रक्षा करता है-जी. ओ. <आई. डी. 3] यह प्रदान करके कि खाली अल्पसंख्यक सीटों को अनारक्षित मेधावी छात्रों से भरा जाए, केवल यह सुनिश्चित किया जाए कि खाली सीटें बर्बाद न हों-इस प्रकार, जी. ओ. अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता पर अपने धर्म का प्रचार करने, प्रचार करने और अभ्यास करने या अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार पर कोई बंधन नहीं लगाते हैं और इसलिए ये Art.30 (1) का उल्लंघन नहीं करते हैं-अल्पसंख्यक संस्थान का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है-उन्हें दिया गया संरक्षण उचित प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी है।

सी.

डी.

ई.

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने कहाः**1.** विवादित **G.O.Ms** भारत के संविधान के अनुच्छेद **30 (1)** का उल्लंघन नहीं करता है।अनुच्छेद **30 (1)** में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को**,** चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों**,** अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। विवादित **G.O.Ms** किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार को कम नहीं करते हैं।अल्पसंख्यक संस्थानों का अधिकार निरपेक्ष नहीं है**,** और विनियमन के लिए उत्तरदायी है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उनकी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के लिए दी गई सुरक्षा उचित प्रतिबंधों के अधीन है।**[**पैरा **5.5] [676-**सी-डी**]**

एफ.

जी.

2. जी**.** ओ**.** एम**.** संख्या **57** ने सभी अल्पसंख्यक छात्रों की स्थिति के निर्धारण के लिए एक समान मानदंड निर्धारित किया।यह सुरक्षा करता है।

एच.

669 ए.

670 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

वास्तविक अल्पसंख्यक छात्रों का हित**,** ताकि प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से रात भर झूठे धर्मांतरण का सहारा लेने वालों द्वारा उनकी सीटें न छीन ली जाएं।यह संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को संरक्षित करेगा**,** न कि इसकी घुसपैठ के रूप में कार्य करेगा।**[**पैरा **5.1] [675-**बी**-**सी**]**

3. जी**.** ओ**.** एम**.** संख्या **98** के संबंध में**,** गैर**-**अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा खाली सीटों को भरने की आवश्यकता सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित थी**,** जिससे पता चलता है कि कॉलेजों की संख्या और अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सीटें अत्यधिक अनुपातहीन थीं**,** और **2001** की जनगणना के अनुसार जनसंख्या से कहीं अधिक थीं।हर साल अल्पसंख्यक संस्थानों में सीटें खाली रहने की स्पष्ट संभावना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में नहीं होगी।इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए**,** यह सुनिश्चित करने के लिए जी**.** ओ**.** एम**.** संख्या **98** जारी की गई थी कि **85** प्रतिशत प्रबंधन कोटे में खाली सीटें किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान खाली न रहें।जी**.** ओ**.** एम**.** ने केवल यह निर्धारित किया कि यदि उक्त कोटा अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा नहीं भरा जाता है**,** तो इसे संयोजक एड द्वारा आवंटित सफल उम्मीदवारों की योग्यता सूची से भरा जाएगा। शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सी**.** ई**.** टी**.**इस प्रक्रिया के माध्यम से**,** सी**.** ई**.** टी**.** योग्य गैर**-**अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया**,** जो राष्ट्र के हित को कम करेगा। यह जी**.** ओ**.** एम**.** किसी भी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए अपने मामलों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।इसके विपरीत**,** यह सुनिश्चित करता है कि खाली सीटें बर्बाद न हों**,** और मेधावी और योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएं।**[**पैरा **5.3] [675-**ई**-**एच**; 676-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

4. इसके अलावा**,** परामर्श प्रक्रिया में एक सरकारी नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष**,** पारदर्शी और गैर**-**दोहनकारी हो और योग्यता पर आधारित हो।यह किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा।**[**पैरा **5.4] [676-**बी**]5.** विवादित **G.O.Ms** अल्पसंख्यक संस्थानों की अपने धर्म को मानने**,** प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता या अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार पर कोई बंधन नहीं लगाता है।मानदंड केवल बी**.** एड**.** में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं। बेशक।यह ए नहीं होगा

जी.

एच.

671

आंध्र केसरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन & ANR.v।आंध्र प्रदेश राज्य ए

यह किसी व्यक्ति के धर्म की पसंद के मामले में प्रतिबंध लगाने या कोई बाधा डालने के बराबर है।**[**पैरा **5.6] [676-**एच**; 677-**ए**-**बी**]**

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और ओआरएस बनामकर्नाटक राज्य

और ओआरएस। (2002) 8 एस. सी. सी. 481-इसके बाद।मामला कानून संदर्भ

बी.

(2002) 8 एस**.** सी**.** सी**. 481**

पीछा किया।

पैरा **5.5**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2011 की सिविल अपील संख्या 106।

2005 की रिट याचिका संख्या 5750 में 2005 की रिट अपील संख्या 928 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से।

सी.

के साथ

2011 की सिविल अपील सं. 110,2007 की रिट याचिका (सी) सं. 244।एस. एम. विवेकानंद, बिजय कुमार जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।श्रीमती डी. भारती रेड्डी, जी. एन. रेड्डी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, सुश्री सुजाता बागड़ी, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, गोपाल झा, एम. पी. गुप्ता, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा, जे.

1. वर्तमान सिविल अपील और रिट याचिका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बी. एड. में प्रवेश के लिए जी. ओ. एम. संख्या 57 दिनांक 21.03.2005, जी. ओ. एम. संख्या 92 दिनांक 16.11.2006, और जी. ओ. एम. संख्या 98 दिनांक 06.12.2006 (इसके बाद "आक्षेपित G.O.Ms" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से बनाए गए नियमों के अधिकारों को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य में पाठ्यक्रम, और शैक्षणिक वर्ष 2006-2007 से लागू हो गया।उक्त G.O.Ms आज भी लागू है।

एफ.

जी.

अंतिम सुनवाई के समय, 2007 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 244 में उपस्थित अधिवक्ता ने केवल इस मामले को सुनवाई के लिए दबाया।इसलिए हम रिट याचिका के तथ्यों के आलोक में मामले का निर्णय ले रहे हैं।2. याचिकाकर्ता-संस्थान एक अल्पसंख्यक संस्थान है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा "ईसाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" का दर्जा दिया गया था।

एच.

जी. ओ. एम. संख्या 55 दिनांक 20.03.2005 के अनुसार, अल्पसंख्यक कॉलेजों को प्रबंधन कोटे के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ अपनी कुल सीटों का 85 प्रतिशत भरने की अनुमति दी गई थी।

3. याचिकाकर्ता-संस्थान ने निम्नलिखित आधारों पर विवादित G.O.Ms को चुनौती देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर कीः–

बी.

i) जी. ओ. एम. संख्या 57 दिनांक 21.03.2005 के खंड 3 (आई) के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगेः–

"चूंकि छात्रों/उम्मीदवारों द्वारा उपरोक्त जी. ओ. 6 में निहित प्रावधानों का दोहन करके रातोंरात धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की खबरें थीं, इसलिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित की गई है।बी. एड., अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 85 प्रतिशत प्रबंधन कोटे में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से, जिस विद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया है, वहां से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र या स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी. सी.) आधार होंगे।टी. सी. की अनुपस्थिति में, उम्मीदवार को उस संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें वह इस आदेश के लिए निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-I) में अध्ययन करता है।इसके अलावा, फर्जी अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र जमा करने वाले छात्रों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सीटें खोने के अलावा आई. पी. सी. की संबंधित धाराओं के तहत निपटाया जाएगा।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) ii) चुनौती का दूसरा प्रमुख आधार यह है कि जी. ओ. एम. संख्या 92 दिनांक 16.11.2006 के अनुसार, खंड 4 (viii) निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः-

"(viii) छात्रों की अल्पसंख्यक स्थिति का निर्णय जी. ओ. एम. संख्या 57 स्कूल शिक्षा (टी. आर. जी.-ए 1) विभाग दिनांक <आई. डी1> में जारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।"

जी.

खंड 5 में एड में निर्धारित रैंक के आधार पर योग्यता के क्रम में प्रवेश के लिए सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत सीटों की सीमा तक सीईटी।

एच.

ए.

खंड 6 ने अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में भी प्रवेश के लिए केंद्रीकृत परामर्श को एकमात्र साधन के रूप में निर्धारित किया।

iii) चुनौती का तीसरा आधार जी. ओ. एम. सं. 92 दिनांक 16.11.2006 में जी. ओ. एम. सं. 98 दिनांक 06.12.2006 के माध्यम से किया गया संशोधन है।संशोधन द्वारा निम्नलिखित खंड को शामिल किया गया थाः–

बी.

"(8).खंड (iii) (ख) में, उपखंड पैरा (10) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-

(10 ए)।संयोजक, एड। सी. ई. टी.-ए. सी. प्रवेश एड के अंतिम रैंक तक यदि आवश्यक हो तो चरणों में परामर्श आयोजित करेंगे। सीईटी। संयोजक, एड। सी. ई. टी.-ए. सी. प्रवेश गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों की बची हुई सीटों को सरकारी उम्मीदवार की उपस्थिति में परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से आरक्षण के नियम का पालन करके भरेगा, यदि अल्पसंख्यक कॉलेजों में सीटें गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों से भरी जानी हैं।"

सी.

डी.

(जोर दिया गया) iv) याचिकाकर्ता-संस्थान की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि जी. ओ. एम. संख्या 98 दिनांक 06.12.2006 के तहत निर्देश कि 85 प्रतिशत प्रबंधन कोटे में खाली सीटें संयोजक, एड द्वारा आवंटित की जाएं। योग्यता के आधार पर गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सीईटी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार पर एक अतिक्रमण है।

ई.

4. प्रत्यर्थी-राज्य ने तर्क दिया कि विवादित G.O.Ms किसी भी तरह से याचिकाकर्ता-संस्थानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

एफ.

4.1.एस. एस. सी. प्रमाणपत्र को छात्र की अल्पसंख्यक स्थिति साबित करने के लिए आधार बनाने की शर्त, सांख्यिकीय आंकड़ों के आलोक में लगाई गई थी, जिससे पता चला कि कई छात्र रात भर धर्म परिवर्तन कर रहे थे ताकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन कोटे में प्रवेश प्राप्त किया जा सके।

जी.

4.2.याचिकाकर्ता-संस्थान को सामान्य प्रवेश परीक्षा में योग्यता के अधीन प्रबंधन कोटा द्वारा 85 प्रतिशत सीटों को भरने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन करने का निर्बाध अधिकार था।

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

हालाँकि, यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के प्रबंधन कोटे में सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों द्वारा नहीं भरी जाती हैं, तो रिक्त सीटें संयोजक द्वारा उम्मीदवारों को सामान्य प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी।

बी.

5. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है, और रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ-साथ पक्षों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों का भी अध्ययन किया है।हम देखेंगेः–

5.1.प्रबंधन कोटे में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से जी. ओ. एम. सं. 57 दिनांक 21.03.2005 जारी किया गया था।जी. ओ. एम. में प्रावधान है कि एस. एस. सी./स्थानांतरण प्रमाणपत्र एक उम्मीदवार द्वारा वैध दावा करने के लिए आधार होना चाहिए कि वह प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए अल्पसंख्यक धर्म से संबंधित है।सांख्यिकीय डेटा को उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा गया था, जो विवादित फैसले में दर्ज किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि अन्य समुदायों के छात्रों द्वारा बपतिस्मा प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा रहे थे, ताकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन कोटे में प्रवेश प्राप्त किया जा सके।

सी.

डी.

ई.

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा दायर अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में, यह पता चला कि बड़ी संख्या में प्रवेश रूपांतरण प्रमाणपत्रों के आधार पर किए गए थे।जांच से पता चला कि न्यू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, निजामाबाद में 200 में से 67 छात्रों; रायलसीमा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कुरनूल में 136 में से 90; भोंगीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भोंगीर में 102 में से 82; ज्योति कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिरिसिला में 85 में से 60; एनेबेसेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खम्मम में 102 में से 91; ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 102 में

से 85 छात्रों को बैप्टिस्म सर्टिफिकेट के आधार पर दाखिला दिया गया था।इनमें से अधिकांश मामलों में, उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए अपने आवेदन जमा करने की तारीख के बाद खुद को ईसाई घोषित किया।

एफ.

जी.

इस तरह के प्रमाणपत्रों के व्यापक दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने एस. सी. सी. प्रमाणपत्र को ए के रूप में बनाते हुए जी. ओ. एम. संख्या 57 दिनांकित 21.03.2005 जारी करना उचित समझा।

एच.

छात्र की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के लिए आधार, ताकि अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा धर्मांतरण प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोका जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रामाणिक छात्रों को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन कोटे में प्रवेश दिया गया था।

बी.

जी. ओ. एम. सं. 57 ने सभी अल्पसंख्यक छात्रों की स्थिति के निर्धारण के लिए एक समान मानदंड निर्धारित किया।यह वास्तविक अल्पसंख्यक छात्रों के हितों की रक्षा करता है, ताकि प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से रात भर झूठे धर्मांतरण का सहारा लेने वालों द्वारा उनकी सीटें न छीन ली जाएं।यह संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को संरक्षित करेगा, न कि इसकी घुसपैठ के रूप में कार्य करेगा।5.2.विवादित आई. डी. 1. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को 85 प्रतिशत सीटें मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों से भरकर और उन्हें ऐसे संस्थानों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता देकर पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है।

सी.

डी.

5.3.जी. ओ. एम. संख्या 98 के संबंध में, गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा खाली सीटों को भरने की आवश्यकता सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित थी, जिससे पता चलता है कि कॉलेजों की संख्या और अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सीटें अत्यधिक अनुपातहीन थीं, और 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या से कहीं अधिक थीं।हर साल अल्पसंख्यक

संस्थानों में सीटें खाली रहने की स्पष्ट संभावना, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित में नहीं होगी।इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए जी. ओ. एम. संख्या 98 जारी की गई थी कि 85 प्रतिशत प्रबंधन कोटे में खाली सीटें किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान खाली न रहें।जी. ओ. एम. ने केवल यह निर्धारित किया कि यदि उक्त कोटा अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा नहीं भरा जाता है, तो इसे संयोजक एड द्वारा आवंटित सफल उम्मीदवारों की योग्यता सूची से भरा जाएगा। शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सी. ई. टी.इस प्रक्रिया के माध्यम से, सी. ई. टी. योग्य गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया, जो राष्ट्र के हित को कम करेगा।

ई.

एफ.

जी.

यह जी. ओ. एम. किसी भी तरह से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अपने प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।

एच.

अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए कार्य।इसके विपरीत, यह सुनिश्चित करता है कि खाली सीटें बर्बाद न हों, और मेधावी और योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएं।

5.4.इसके अलावा, परामर्श प्रक्रिया में एक सरकारी नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-दोहनकारी हो और योग्यता पर आधारित हो।यह किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

बी.

5.5.विवादित G.O.Ms भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करता है। अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।विवादित G.O.Ms किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार को कम नहीं करते हैं।

सी.

अल्पसंख्यक संस्थानों का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उनकी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के लिए दी गई सुरक्षा उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

डी.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और ओआरएस बनामकी स्थिति

कर्नाटक और अन्य, 1 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः–

ई.

"छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार का एक आवश्यक पहलू है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत विचार किया गया है, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय उस अधिकार में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं हो सकता है, जब तक कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पारदर्शी आधार पर है और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।प्रशासन का अधिकार, निरपेक्ष नहीं होने के कारण, शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने और उनकी उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए नियामक उपाय हो सकते हैं, और यह पेशेवर संस्थानों में प्रवेश के मामले में अधिक है।"

एफ.

जी.

(जोर दिया गया) 5.6।विवादित G.O.Ms अल्पसंख्यक संस्थानों की अभिव्यक्ति, प्रचार करने की स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं लगाता है,

1 (2002) 8 एससीसी 481।

एच.

ए.

और अपने धर्म का पालन करें, या अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।मानदंड केवल बी. एड. में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं। बेशक।यह किसी व्यक्ति के धर्म की पसंद के मामले में कोई प्रतिबंध या कोई बाधा नहीं लगाएगा।

बी.

5.7.याचिकाकर्ता-संस्था का यह तर्क कि विवादित G.O.Ms असंवैधानिक है, और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, खारिज किया जा सकता है।

5.8.विवादित G.O.Ms को शैक्षणिक वर्ष 2006-2007 से लागू किया गया था।ये G.O.Ms तब से लागू हैं।याचिकाकर्ता संस्थान सहित आंध्र प्रदेश राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पिछले 13 शैक्षणिक वर्षों से बिना किसी शिकायत के इनका पालन कर रहे हैं।इस स्तर पर इसे बंद करने का कोई उचित कारण नहीं है।

सी.

डी.

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, सिविल अपील और रिट याचिका को किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

ई.

तदनुसार आदेश दिया।

कल्पना के. त्रिपाठी

मामलों का निपटारा किया गया।

एफ.

जी.

एच.